



The Madhya Pradesh Peya Jal Parirakshan Adhiniyam, 1986

Act No. 3 of 1987

Keywords:

Domestic Purposes, Tubewell, Water Source

Amendment appended: 10 of 2023

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

डाक व्यय की पूर्व अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे
जाने के लिए अनुमत
अनुमति पत्र क्रमांक भोपाल



जी क्रमांक भोपाल
डिजीजन 122 (एम.पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24)

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 13 जनवरी 1987 — पौष 23, शके 1908

विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 1987

क्रं.455-21-अ (प्रा.)— मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 9 जनवरी 1987 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्व साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.डी.शुक्ला, सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 3 सन् 1987.

मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम, 1986.

विषय—सूची

धाराएं :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
2. परिभाषाएं.
3. जल अभावग्रस्त क्षेत्र की धोषणा.
4. अनुज्ञा के बिना जल प्रभावग्रस्त क्षेत्र में के जल स्रोत से सिंचन या औद्योगिक प्रयोजन के लिये या किसी अन्य प्रयोजन के लिये जल लेने का प्रतिषेध.
5. आदेश का अध्यारोही प्रभाव.
6. अनुज्ञा के बिना नलकूप खोदने का प्रतिषेध.
7. अपील.
8. पुनर्विलोकन.
9. अपराध.
10. नियम बनाने की शक्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 3 सन 1987.

मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम, 1986.

[दिनांक 9, जनवरी 1987 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 13 जनवरी, 1987 को प्रथमबार प्रकाशित की गई]

जनता को धरेलू प्रयोजनों के लिये जल का प्रदाय बनाये रखने के उद्देश्य से जल स्रोतों में जल का परिरक्षण करने तथा नल कूपों के खोदे जाने का, विनियमन करने के लिये तथा तदनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम,

भारत गणराज्य के सैतीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम, 1986 है.

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, नियत करें .

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में , जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , -

(क) जल के उपयोग के संबंध में "धरेलू प्रयोजनों " से अभिप्रेत है पीने, नहाने , धोने , साफ सफाई करने तथा दिन-प्रतिदिन के अन्य क्रियाकलापों के लिये जल का मनुष्यों द्वारा उपभोग और उसके अन्तर्गत है धरेलू पशुओं के अनुरक्षण के लिये उसका तत्सदृश प्रयोजनों के लिये उपयोग;

(ख) "नल कूप" से अभिप्रेत है जलोढ या चट्टानी क्षेत्रों में लम्बात्मकता की विहित सीमाओं के भीतर उपयुक्त गहराई तक जमीन को छेद कर बनाया गया वैधछिद (बोरहोल) जिसे, अपेक्षित प्रकार के धरेलू पाइप (हाउसिंग पाइप) डालकर, आवश्यकतानुसार रेत या कांकरीट से जमाते हुये, शारीरिक संक्रिया से भिन्न यांत्रिक साधनों की सहायता से, भूमिगत जल खींचने के प्रयोजन के लिये निर्मित किया गया हो

(ग) " जल अभावग्रस्त क्षेत्र" से अभिप्रेत है ऐसा क्षेत्र जिसे धारा 3 के अधीन जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया हो ;

(घ) " जल स्रोत " से अभिप्रेत है ऐसी नदी , बांध, नहर, जलधारा, झरना (फाउन्टेन) झील , सोता (स्प्रिंग) जलाशय (टैंक) वंधान (एनीकट्स) या कुआं जिससे राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण अपनी जल प्रदाय स्कीम के अधीन जनता को धरेलू प्रयोजनों के हेतु जल प्रदाय करता है और उसके अन्तर्गत ऐसे अन्य जल स्रोत होंगे जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, इस निर्मित अधिसूचित किये जायें, किन्तु मध्यप्रदेश इरीगेशन एक्ट, 1931 (क्रमांक 3 सन् 1931) की धारा 3 में तथा परिभाषित "केनाल" (नहर) उसके अन्तर्गत नहीं होगी .

जल अभावग्रस्त क्षेत्र की घोषणा.

3. यदि कलेक्टर की यह राय हो कि धरेलू प्रयोजनों हेतु -

(क) जनता को जल का प्रदाय बनाये रखने या बढ़ाने के लिये ; या

(ख) जल का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिये ; या

(ग) जनता की आवश्यकता की पूर्ति करने के हेतु जल प्राप्त करने के लिये;

ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, आदेश द्वारा, जिले के ऐसे क्षेत्र को , ऐसी कालावधि के लिये, जैसा कि ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकेगा और तदुपरि इस अधिनियम के उपबंध उक्त आदेश के प्रवर्तित रहने के दौरान ऐसे क्षेत्र को लागू होंगे.

(1) मध्यप्रदेश लैण्ड रेवेन्यू कोड, 1959 (कमांक 20 सन् 1959) में तथा तत्समय प्रवृत्त किसी ऐसी अनुज्ञा के बिना विधि में, जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की राज्य सूची में प्रगणित प्रतिष्ठियों में से किसी प्रविष्टि के अधीन अधिनियमित की गई हो, अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, कोई भी व्यक्ति, संबंधित कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना, जल अभावग्रस्त क्षेत्र में के किसी भी जल स्रोत से सिंचन या औद्योगिक प्रयोजन के लिये या धरेलू प्रयोजन को छोड़ कर किसी अन्य प्रयोजन के लिये किन्ही भी साधनों द्वारा जल नहीं लेगा.

अनुज्ञा के बिना जल अभावग्रस्त क्षेत्र में के जल स्रोत से सिंचन या औद्योगिक प्रयोजन के लिये या किसी अन्य प्रयोजन के लिये जल लेने का प्रतिवेध.

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन संबंधित कलेक्टर को ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के साथ किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाएं.

(3) कलेक्टर, उन कारणों से, जो लेखबद्ध किये जायेंगे, अनुज्ञा देन से लोकहित में इंकार कर सकेगा यदि उसकी राय में ऐसे जल स्रोत से जनता को धरेलू प्रयोजनों के हेतु जल के प्रदाय को सुनिश्चित करने के उददेश्य से जल का परिरक्षण करना आवश्यक है,

(4) इस धारा के अधीन की प्रत्येक अनुज्ञा—

(क) इस शर्त के अधीन होगी कि कलेक्टर, उन कारणों से, जो लेखबद्ध किये जायेंगे, आदेश द्वारा, जल स्रोत से ऐसी कालावधि के लिये, जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, जल के लिये जाने का प्रतिवेध कर सकेगा यदि उसकी राय में ऐसे जल स्रोत से विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान जल के लिये जाने का लोकहित में प्रतिवेध करना इस उददेश्य से आवश्यक है कि ऐसे जल स्रोत से जनता को धरेलू प्रयोजनों के हेतु जल के प्रदाय को सुनिश्चित करने के लिये जल का परिरक्षण किया जा सके; और

(ख) ऐसी अन्य शर्तों और निबंधनों के अधीन होगी जो विहित की जायें.

(5) कोई भी व्यक्ति उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन पारित किये गये आदेश के परिणामस्वरूप अपने द्वारा उठाई गई हानि के लिये राज्य सरकार से नुकसानी का दावा करने का हकदार नहीं होगा, तथापि जल लेने के लिये किन्ही भी प्रभारों का ऐसे व्यक्ति द्वारा उस कालावधि के लिये किया जाना अपेक्षित नहीं होगा जिसके दौरान उप धारा (4) के खंड (क) के अधीन का आदेश प्रवृत्त रहता है, भले ही किसी करार तथा या रूधि में या तत्समय प्रदत्त किसी ऐसी अन्य विधि में, जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की राज्य सूची में प्रगणित प्रतिष्ठियों में से किसी भी प्रविष्टि के अधीन अधिनियमित की गई हो, कोई बात अन्तर्विष्ट क्यों न हो.

5. धारा 3 के अधीन का कोई भी आदेश तत्समय प्रवृत्त किसी ऐसी अन्य विधि में, जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की राज्य सूची में प्रगणित प्रतिष्ठियों में से किसी भी प्रविष्टि के अधीन अधिनियमित की गई हो, अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के हुए भी, प्रभावी होगा.

आदेश का अभ्यारोही प्रभाव

6 (1) कोई भी व्यक्ति, कलेक्टर की या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की अनुज्ञा के बिना, जल अभावग्रस्त क्षेत्र में किसी भी प्रयोजन के लिये, नलकूप नहीं खोदेगा.

अनुज्ञा के बिना नलकूप खोदन का प्रतिपेध

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन कलेक्टर को या उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी को ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के साथ किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाये.

(3) उपधारा (1) के अधीन की कोई अनुज्ञा व्यतिकरण-परिक्षेत्र (जोन ऑफ इन्टरफियरेन्स) के भीतर नहीं दी जायेगी यदि उस नलकूप के जिसके कि लिये अनुज्ञा चाही गई है, खोदे जाने के कारण ऐसे परिक्षेत्र में विद्यमान उस नलकूप से, जो जनता को धरेलू प्रयोजनों के हेतु जलप्रदाय करने के प्रयोजन के लिये यथास्थिति राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सन्निर्मित किया गया हो या अनुरक्षित किया जाता हो, जल के प्रदाय पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव पड़ने की संभावना हो.

(4) इस धारा के अधीन की प्रत्येक अनुज्ञा ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन होगी जो विहित की जायें.

स्पष्टीकरण:— इस धारा के प्रयोजन के लिये "व्यतिकरण-परिक्षेत्र" से अभिप्रेत है उपधारा (3) में निर्दिष्ट विद्यमान नलकूप से एक सौ पचास मीटर की त्रिज्या के भीतर का क्षेत्र.

7. कोई भी व्यक्ति, जो धारा 4 के अधीन कलेक्टर द्वारा पारित किसी आदेश से व्यधित हो, संभाग आयुक्त को अपील ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसी रीति में जो अपील कि विहित की जाए कर सकेगा जिसमें ऐसे आदेश के, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, संबंध में आपत्ति के आधारों का संक्षिप्त: वर्णन किया जाएगा.

अपील.

पुनर्विलोकन.

8. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कलेक्टर स्वप्रेरणा से या व्यथित पक्षकार के आवेदन पर , किसी भी ऐसे आदेश का, जो उसके स्वयं के द्वारा या उसके पद, पूर्ववर्तियों में से किसी के भी द्वारा पारित किया गया हो , पुनर्विलोकन उस दशा में कर सकेगा जबकि कोई अपील न की गई हो और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे :

परन्तु—

- (एक) किसी भी आदेश में तब तक कोई फेरफार नहीं किया जाएगा या उसे उलटा नहीं जाएगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों को उपसंजात होने तथा ऐसे आदेश के समर्थन में सुनवाई की जाने की सूचना न दे दी गई हो;
- (दो) किसी भी ऐसे आदेश का, जिस पर से अपील की गई हो , तब तक पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी अपील लम्बित हो .

अपराध

9. धारा 3 या धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन कारावास से , जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनो से दण्डनीय होगा .

नियम बनाने की शक्ति

10. (1) राज्य सरकार , इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन रहते हुए, बना सकेगी .

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थातः—

(क) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन का प्ररूप और उसके लिए फीस ;

(ख) वे शर्तें और निर्बन्धन जिनके अध्यधीन रहते हुए धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञा दी जाएगी ;

(ग) धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन का प्ररूप और उसके लिए फीस ; और

(घ) वे शर्तें और निर्बन्धन जिनके अध्यधीन धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञा दी जाएगी.

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे .

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 1987

कं.456-21-अ (प्रा.)— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 (कंमांक 2 सन 1987) का अंग्रजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जात है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.डी.शुक्ला , सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 3 OF 1987

THE MADHYA PRADESH PEYA JAL PARIRAKSHAN ADHINIYAM-1986

TABLE OF CONTENTS

Sections:-

1. Short title and commencement.
2. Definitions.
3. Declaration of water scarcity area.
4. Prohibition to take water for irrigation or industrial or any other purpose from water source in water scarcity area without permission.
5. Overriding effect of the order.
6. Prohibition of digging of tube wells without permission.
7. Appeal.
8. Review.
9. Offences.
10. Power to make rules.

MADHYA PRADESH ACT
No.3 OF 1987

THE MADHYA PRADESH PEYA JAL PARIRAKSHAN ADHINIYAM,1986.

[Received the assent of the Governor on the 9th January 1987; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette" (Extra-ordinary), dated the 13th January,1987].

An Act to provide for preservation of water in the water sources and for regulation of digging of tube wells in order to maintain the water supply to the public for domestic purposes and for matters ancillary thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Thirty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Peya Jal Parirakshan Adhiniyam 1986. Short title and commencement.
- (2) It shall come into force on such date as the State Government may be notification, appoint. Definitions
2. In this Act, unless the context otherwise requires:-
 - (a) "domestic purposes" in relation to use of water means consumption of the same by human beings for drinking, bathing, washing, cleansing and other day to day activities and includes use thereof for similar purposes for the upkeep of domestic animals;
 - (b) "Tubewell" means a bore hole within the prescribed limits of verticality, drilled up to suitable depth, in alluvium or rocky areas installed with requisite type of housing pipe, placing of sand or gravel as per necessity, for the purpose of drawing underground water with the help of mechanical means, other than Manual Operation.
 - (c) "water scarcity area" means the area declared as water scarcity area under section 3;
 - (d) "water source" means river, dam, canal, stream, fountain, lake spring, tank, anicuts or well from which the State Government or local authority supply water to the public under its water supply scheme for domestic purposes and shall include such other water sources as may be notified by the State Government in this behalf, from time to time, but it shall not include the canal as defined in Section 3 of the Madhya Pradesh Irrigation Act, 1931 (No.3 of 1931).
3. If the Collector is of opinion that it is necessary or expedient so to to- Declaration of water scarcity area
 - (a) for maintaining or increasing supply of water to the public; or
 - (b) for securing its equitable distribution; or
 - (c) for securing water to meet the need of the public,

Domestic purposes, he may, by order, declare such area of the district for such period as may be specified in such order to be water scarcity area and thereupon the provisions of this Act should apply to such area during the operation of the said order.
4. (1) Notwithstanding anything contained in the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and any other law, for the time being in force, enacted under any of the entries enumerated in the State List of the Seventh Schedule to the Constitution of India, no person shall take water by any means from any water source in the water scarcity area for irrigation or industrial or any other purposes except domestic purpose without the permission of the Collector concerned. Prohibitions to take water for irrigation or industrial or any other purpose from water source in water scarcity area without permission.
- (2) An application for permission under sub-section (1) shall be made to the Collector concerned in such form and accompanied by such fee as may be prescribed.
- (3) The Collector may, for reasons to be recorded in writing, refuse to grant permission in the public interest if in his opinion it is necessary to preserve water in order to ensure supply thereof to the public from such water source for domestic purposes.

(4) Every permission under this section shall be subject to –

(a) The condition that the Collector may, for reasons to be recorded in writing, by order prohibit the taking of water from the source for such period as may be specified in such order if in his opinion it is necessary in the public interest to prohibit taking of water from such water source during the period specified to preserve water in order to ensure the supply thereof from such water sources to the public for domestic purposes; and

(b) Such other conditions and restrictions as may be prescribed.

(5) No person shall be entitled to claim damages from the state Government for the loss sustained by him as a result of order passed under clause (a) of sub-section (4), but however no charges for the taking of water shall be required to be paid by such person for the period during which order under clause (a) of sub-section (4) remains in operation notwithstanding anything contained in any agreement, usage or custom or any other law for the time being in force, enacted under any of the entries enumerated in the State List of the Seventh Schedule to the Constitution of India.

Overriding effect of the order

5. An order under Section 3 shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force enacted under any of the entries enumerated in the State List of the Seventh Schedule to the Constitution of India

Prohibition of digging of tube wells without permission

6. (1) No person shall dig tube-well in the water scarcity area for any purpose without the permission of the Collector or any other officer authorised by the State Government in this behalf.

(2) An application for permission under sub-section (1) shall be made to the Collector of an officer authorised under sub-section (1) in such form and accompanied by such fee as may be prescribed.

(3) No permission under sub-section (1) shall be prescribed granted within the Zone of interference unless the digging of tube-well for which permission is sought is not likely to affect in any way the water supply from the tube well existing in such zones which has been constructed or is maintained by the State Government or a local authority, as the case may be, for the purposes of water supply to the public for domestic purposes.

(4) Every permission under this section shall be subject to such conditions and restrictions as may be prescribed.

Explanation – For the purpose of this section " zone of interference" means an area with the radius of one hundred fifty metres from the existing tube-well referred to in sub-section (3)

Appeal.

7. Any person aggrieved by an order passed by the Collector under Section 4 may prefer an appeal to the Commissioner of the Division within thirty days in such manner as may be prescribed from the date of such order setting forth concisely the grounds of objection to the order appealed against.

Review

8. Subject to the provisions of this Act, the Collector may either on his own motion or on the application of the aggrieved party, if no appeal has been preferred, may review the order passed by himself or by any of his predecessors in office and pass such order as he thinks fit.

Provided that-

(i) no order shall be varied or reversed unless notice has been given to the parties interested to appear and be heard in support of such order;

(ii) no order from which an appeal has been made shall so long as such appeal is pending be reviewed.

Offences.

9. The contravention of the provisions of section 3 or section 4 shall be punishable with imprisonment which may extend to two years or a fine which may extend to two thousand rupees or with both.

Power to make rules

10 (1) The State Government may, subject to the condition of previous publication, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely;-

- (a) the form of application and a fee therefor under sub-section (2) of Section 4;
- (b) the conditions and restrictions subject to which permission is to be granted under sub-section (4) of Section 4;
- (c) the form of application and fee therefore, under sub-section (2) of Section 6; and
- (d) the conditions and restrictions subject to which permission under sub-section (4) of Section 6 is to be granted.

(3) The rules made under this Act shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

डाक ब्यय की पूर्व अदायगी के
बीना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए
अनुमत . अनुमति पत्र क्रमांक
भोपाल एम.पी. /04 भोपाल 2002

जी क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम.पी. 108/ भोपाल



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 371]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 अगस्त 2002 — श्रावण 17 शक 1924

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2002

क्रं. 5823-343-इक्कीस-अ(प्रा.)- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण (संशोधन) विधेयक 2002 (क्रमांक 22 सन् 2002) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
आर.के.सिटोके, अतिरिक्त सचिव,

MADHYA PRADESH ACT

No.22 OF 2002

**THE MADHYA PRADESH PEYA JAL PARIRAKSHAN (SANSHODHAN)
VIDHEYAK,2002**

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Peya Jal Parirakshan Adhiniyam,1986.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifty third Year of the Republic of India as follows:-

Short title 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Peya Jal Parirakshan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2002.

Insertion of new Sections 4-A and 4-B 2. After Section 4 of the Madhya Pradesh Peya Jal Parirakshan Adhiniyam, 1986 (No.3 of 1987) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following sections shall be inserted, namely:-

Requisitioning of Water Source temporarily. "4-A. (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, if in the opinion of the Collector it is necessary or expedient so to do for securing water to maintain or to increase supply of water to the public for domestic purposes, he may by order in writing requisition temporarily any water source situated in the water scarcity area declared as such under Section 3 for such period, as may be specified in the order which shall not exceed four months and may make such further orders as may be necessary or expedient in connection with the requisitioning. Such order shall be addressed and served to the owner or the person in possession of the Water source as the case may be, in such manner as he thinks fit.

Provided that adequate of water will continue to be supplied to the owner or to the person in possession of the water source for domestic purposes.

(2) Whenever any water source is requisitioned under sub-section (1), the period of such requisition may be extended for a further period not exceeding two months in the same circumstances.

Payment of rent and damages for requisition of water source. "4.B. (1) Consequent to an order passed under sub-section (1) of Section 4-A requisitioning the water source, the owner or person in possession of the said water source shall be entitled to payment of rent equal to two percent of the current market value of the development of water source and all related infrastructure for every month of requisitioning.

(2) All operation and maintenance expenses on machinery pertaining to water supply for the period of requisitioning under sub-section (1) of Section 4-A shall be borne by the authority requisitioning the water source.

Explanation – Operation and maintenance expenses will include the electricity charges and spares for repairs etc.

(3) The owner or the person in possession of the said water source shall be entitled to damages caused to the water source and the related infrastructure or the property during the period of requisition, other than normal wear and tear.

Amendment of Section 7 3. In section 7 of the Principal Act, for the word and figure ' section 4" the words and figures "Section 4, Section 4-A or Section 4-B" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Madhya Pradesh PeyaJal Parirakshan Adhiniyam, 1986 provides for the preservation of water in the existing water sources for domestic purposes but there is no specific provision for requisition of private water sources in the water scarcity area for maintaining or increasing water supply to the public. Hence it has been decided to requisition water source temporarily in the water scarcity area for water supply to the public.

2. It is, therefore, proposed to amend the aforesaid Act suitably for the purpose.
3. Hence this Bill.

Bhopal
Dated the 2nd August, 2002

DEEPAK SAXENA
Member-in-charge

मध्यप्रदेश विधेयक
कमांक 22 सन् 2002

मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2002

मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम, 1986 को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2002 है.

संक्षिप्त नाम

2. मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम, 1986 (कमांक 3 सन् 1987) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतः स्थापित की जाए अर्थात:-

नई धारा 4- क
और 4 -ख का
अंतः-: -स्थापन
जल स्रोत का
अस्थायी रूप से
अधिग्रहण करना.

'4-क (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि कलेक्टर की राय में घरेलू प्रयोजनों के लिए जनता को जल का प्रदाय बनाए रखने या बढ़ाने के लिए जल प्राप्त करने के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, लिखित में आदेश द्वारा धारा 3 के अधीन इस रूप में घोषित किये गये जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र में स्थित किसी जल स्रोत को ऐसी कालावधि के लिए जैसी कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, जो चार माह से अधिक की नहीं होगी, अस्थायी रूप से अधिग्रहण कर सकेगा और अधिग्रहण करने के संबंध में ऐसे और आदेश कर सकेगा जो कि आवश्यक या समीचीन हो, ऐसा आदेश यथास्थिति जल स्रोत के स्वामी या जल स्रोत का कब्जा रखने वाले व्यक्ति को, ऐसी रीति में जैसी कि वह उचित समझे, संबोधित तथा तामील किया जाएगा :

परन्तु घरेलू प्रयोजन के लिए जल स्रोत के ऐसे स्वामी या जल स्रोत का कब्जा रखने वाले व्यक्ति को जल की पर्याप्त मात्रा का प्रदाय जारी रहेगा.

2) जब कभी किसी जल स्रोत का उपधारा (1) के अधीन अधिग्रहण किया जाता है तो ऐसे अधिग्रहण की कालावधि को इन्हीं परिस्थितियों में ऐसी और कालावधि तक बढ़ाया जा सकेगा जो दो माह से अधिक की नहीं होगी.

"4-ख. (1) जल स्रोत का अधिग्रहण करने के लिए धारा 4 का की उपधारा (1) के अधीन पारित किए गए किसी आदेश के परिणामस्वरूप, उक्त जल स्रोत का स्वामी या जल स्रोत का कब्जा रखने वाला व्यक्ति अधिग्रहण के प्रत्येक मास के लिए जल स्रोत के विकास और समस्त संबंधित अधोसंरचना के चालू बाजार मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर किराए के संदाय का हकदार होगा.

जल स्रोत के
अधिग्रहण के लिए
किराए और
नुकसानी का संदाय

(2) धारा 4 क की उपधारा (1)के अधीन अधिग्रहण की कालावधि के लिए जल प्रदाय से संबंधित मशीनरी के प्रचालन और संधारण पर समस्त व्यय जल स्रोत का अधिग्रहण करने वाले प्राधिकारी द्वारा वहन किए जाएंगे.

स्पष्टीकरण:- प्रचालन और संधारण व्ययों में विद्युत् प्रभार और मरम्मत के लिए पुर्जे आदि सम्मिलित होंगे.

(3) उक्त जल स्रोत का स्वामी या उसका कब्जा रखने वाला व्यक्ति, अधिग्रहण की कालावधि के दौरान जल स्रोत तथा संबंधित अधोसंरचना या सम्पत्ति को हुए ऐसे नुकसान जो सामान्य टूट-फूट से भिन्न हो, की नुकसानी प्राप्त करने का हकदार होगा.

3. मूल अधिनियम की धार 7 में, शब्द तथा अंक "धारा 4" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "धारा 4, धारा 4-क या धारा 4-ख " स्थापित किए जाएं .

धारा 7 का संशोधन

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम, 1986 में घरेलू प्रयोजनों के लिये विद्यमान जल स्रोतों में जल के परिरक्षण करने का उपबंध है, किन्तु जल अभावग्रस्त क्षेत्र में जनता को जल का प्रदाय बनाये रखने या बढ़ाने के लिये निजी जल स्रोतों के अधिग्रहण के लिए कोई विशिष्ट उपबंध नहीं है, अतः यह विनिश्चित किया गया है कि जल अभावग्रस्त क्षेत्र में जनता को जल का प्रदाय करने के लिये जल स्रोत का अस्थायी रूप से अधिग्रहण किया जाए,

2. अतएव, यह प्रस्तावित है कि उक्त प्रयोजन के लिये उपर्युक्त अधिनियम को यथोचित रूप से संशोधित किया जाए.
3. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल:

तारीख 2 अगस्त, 2002

दीपक सक्सेना
भारसाधक सदस्य

“ संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशासित. ”

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित संशोधन विधेयक के की धारा 4-ख में, जल अभावग्रस्त घोषित क्षेत्र में सार्वजनिक पेयजल आपूर्ति हेतु अस्थाई रूप से अधिग्रहित निजी जल स्रोतों के विकास में पूंजीगत व्यय पर स्रोत स्वामी को क्षति पूर्ति के भुगतान तथा स्रोत से जल पूर्ति पर विद्युत् एवं अन्य संधारण प्रभार के वहन का प्रावधान है भू-अथवा सतही जल की उपलब्धता अथवा अभाव मुख्यतः प्रतिवर्ष मानसूनी वर्षा पर निर्भर है. वर्षा की मात्रा, तीव्रता, समयावधि एवं वितरण ऐसे घटक हैं जो कि क्षेत्र में पेयजल उपलब्धता पर प्रभाव डालते हैं. पेयजल की अभावग्रस्तता के स्वरूप एवं गंभीरता के अनुसार प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से निजी जल स्रोतों का अधिग्रहण एवं उनका सार्वजनिक पेयजल आपूर्ति हेतु उपयोग विहित है. अतः संशोधन विधेयक की धारा 4-ख के वित्तीय प्रभाव का वर्षवार सही-सही पूर्वानुमान संभव नहीं है, तथापि विधेयक की धारा 4-ख के प्रावधान स्वरूप शासन पर प्रतिवर्ष रूपये 25.00 लाख (रूपये पच्चीस लाख) का अतिरिक्त आवर्ती वित्तीय भार अनुमानित है.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 2 द्वारा जल अभावग्रस्त क्षेत्र में स्थित किसी जल स्रोत को अधिग्रहण किये जाने की कालावधि विनिर्दिष्ट किये जाने तथा ऐसे जलस्रोत के स्वामी या कब्जाधारी को तत्सम्बंधी अधिग्रहण के सम्बंध में सम्बोधित तथा तामील किये जाने वाले आदेश की रीति नियत किये जाने के संबंध में विधायनी शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं.

डॉ. ए.के.पयासी
सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा

उपाबंध

मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम, 1986 (कमांक 3 सन् 1987) से उद्धरण.

धारा 7. कोई भी व्यक्ति, जो धारा 4 के अधीन कलेक्टर द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित हो, संभाग आयुक्त को अपील ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसी रीति में जो कि विहित की जाए, कर सकेगा जिसमें ऐसे आदेश के, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, संबंध में आपत्ति के आधारों का संक्षिप्ततः वर्णन किया जाएगा.

डॉ. ए.के.पयासी
सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 फरवरी 2023—माघ 14, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2023

क्र. 1922-48-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 25 जनवरी, 2023 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राघवेन्द्र भारद्वाज, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १० सन् २०२३

मध्यप्रदेश पेय जल परिरक्षण (संशोधन) अधिनियम, २०२२

[दिनांक २५ जनवरी, २०२३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ३ फरवरी, २०२३ को प्रथमबार प्रकाशित की गई।]

मध्यप्रदेश पेय जल परिरक्षण अधिनियम, १९८६ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

- संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पेय जल परिरक्षण (संशोधन) अधिनियम, २०२२ है.
- धारा ९ का स्थापन. २. मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम, १९८६ (क्रमांक ३ सन् १९८७) की धारा ९ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—
- अपराध. "९. धारा ३, धारा ४ या धारा ६ के उपबंध का उल्लंघन, प्रथम अपराध के लिए पांच हजार रुपये के जुर्माने से और पश्चात्पूर्ति प्रत्येक अपराध के लिए दस हजार रुपये के जुर्माने से या कारावास से, जो दो वर्ष तक को हो सकेगा, दण्डनीय होगा."

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2023

क्र. 1992-48-इक्कीस-अ-(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश पेय जल परिरक्षण (संशोधन) अधिनियम, २०२३ (क्रमांक १० सन् २०२३) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राघवेन्द्र भारद्वाज, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 10 OF 2023

THE MADHYA PRADESH PEYA JAL PARIRAKSHAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2022

[Received the assent of the Governor on the 25th January, 2023 ; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 3rd February, 2023.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Peya Jal Parirakshan Adhiniyam, 1986.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-third year of the Republic of India as follows :—

- Short title. 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Peya Jal Parirakshan (Sanshodhan), Adhiniyam, 2022.
- Substitution of Section 9. 2. For Section 9 of the Madhya Pradesh Peya Jal Parirakshan Adhiniyam, 1986 (No. 3 of 1987), the following Section shall be substituted, namely :—
- Offences. "9. The contravention of the provision of Section 3, Section 4 or Section 6 shall be punishable with a fine of five thousand rupees for the first offence, and a fine of ten thousand rupees or with imprisonment which may extend to two years for each subsequent offence."